-55-

क्रम संख्या—289

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू/एन०पी०–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2009

श्रावण 22, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या-1253/सात-न्याय-2–09-31-जी-08

लखनऊ, 13 अगस्त, 2009

अधिसूचना

प०आ०–537

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के भाग दस और उक्त संहिता की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति एवं इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय, इलाहाबाद निम्नलिखित नियमावली बनाता है।

उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, 2009 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विस्तार

2–यह नियमावली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ किसी न्यायालय में दाखिल की गयी/लंबित किसी वाद या अन्य कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त न्यायालय के उपाबद्ध मध्यस्थता पर लागू होगी। किसी वाद या अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मध्यस्थता को जिले में स्थापित मध्यस्थता और सुलह केन्द्र को निर्दिष्ट किया जा सकेगा। मध्यस्थता और सुलह केन्द्र को किये गये ऐसे निर्देश पर यह नियमावली लागू होगी।

मध्यस्थ की नियुक्ति

3–(1) किसी वाद के समस्त पक्षकार अपने मध्य मध्यस्थता करने के लिये एक मात्र मध्यस्थ के नाम पर सहमत हो सकते हैं।

(2) जहाँ पक्षकारों के दो संवर्ग हों और वे किसी एक मात्र मध्यस्थ पर सहमत होने में असमर्थ हों, वहाँ पक्षकारों का प्रत्येक संवर्ग एक मध्यस्थ नाम निर्दिष्ट करेगा।

(3) जहाँ विधिक हित वाले पक्षकारों के दो से अधिक संवर्ग हों, वहाँ प्रत्येक संवर्ग अपनी ओर से एक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट करेगा और उक्त नामनिर्देशिती एक मात्र मध्यस्थ का चयन करेगा और तदनिमित्त मतैक्य के अभाव में न्यायालय किसी एक मात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा।

मध्यस्थों का पैनल

4–(1) (एक) प्रत्येक जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश वादों एवं अन्य कार्यवाही में पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता करने के लिये मध्यस्थों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ पैनल में सम्मिलित किये गये नामों पर उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् इस नियमावली के प्रारम्भ होने के साठ दिन के भीतर मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करेगा और जिला न्यायालयों में प्रत्येक बार एसोसिएशन को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुये अपने-अपने सूचना पट्ट पर मध्यस्थों की अनुमोदित सूची प्रकाशित करेगा।

(दो) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट उक्त पैनलों की प्रतिलिपियाँ सम्बन्धित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ समस्त दूरस्थ न्यायालयों और प्रत्येक दूरस्थ न्यायालय से संलग्न बार एसोसिएशन को अग्रेषित की जाएगी।

(2) जिन व्यक्तियों के नाम पैनल में सम्मिलित किये जायं, उनकी सहमति, अनुसूची–1 में दिये गये प्रारूप पर पैनल में उनके नाम सम्मिलित करने के पूर्व, ले ली जाएगी।

(3) नामों के पैनल में एक ब्योरेवार संलग्नक अन्तर्विष्ट होगा जिसमें मध्यस्थों की अर्हताओं का ब्योरा और विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक और तकनीकी अनुभव का विवरण दिया होगा।

(4) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त मध्यस्थ पैनल नियुक्ति के दिनांक से सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा और मध्यस्थों के पैनल का या किसी मध्यस्थ की अवधि का अग्रतर विस्तारण उच्च न्यायालय के अनुमोदन से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विवेकानुसार होगा।

(5) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पूर्व अनुमोदन से अपने विवेकानुसार समय-समय पर मध्यस्थ-पैनल में किसी व्यक्ति को सम्मिलित कर सकता है या उसमें से निकाल सकता है।

नियम 4 के अधीन पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं

5–निम्नलिखित व्यक्तियों को नियम 4 के अधीन मध्यस्थों के पैनल में सूचीबद्ध किये जाने के लिए अर्ह एवं पात्र समझा जाएगा, अर्थातः–

(क) अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

(ख) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के रतर पर न्यायालय में कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव के साथ विधि व्यवसायी।

(ग) कम से कम पंद्रह वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञ या अन्य वृत्तिक।

(घ) ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं जो मध्यस्थता में स्वयं विशेषज्ञ हों और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त हों।

व्यक्तियों की अनर्हताएं

6–निम्नलिखित व्यक्ति मध्यस्थों के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिये अनर्ह समझे जाएंगे :–

(एक) कोई ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृत-चित्त घोषित किया गया हो;

(दो) या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्वलित आपराधिक आरोप विरचित किये गये हों और वे लम्बित हों; या

(तीन) कोई ऐसा व्यक्ति जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिये किसी दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(चार) कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी समुचित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नैतिक अधमता से सम्बन्धित आरोप पर ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो जो लम्बित हो या जिसके परिणामस्वरूप कोई दण्ड दिया गया हो ;

(पाँच) कोई ऐसा व्यक्ति जो विवाद की विषयवस्तु से हितबद्ध या सम्बद्ध हो या पक्षकारों में से किसी पक्षकार से या उनका प्रतिनिधित्व करने वालों से सम्बन्धित हो, जब तक ऐसी आपत्ति का सभी पक्षकारों द्वारा लिखित रूप से अधित्यजन न कर दिया गया हो ;

(छः) कोई ऐसा विधि व्यवसायी जो इस वाद में या किसी अन्य वाद या कार्यवाही में किसी पक्ष के लिये हाजिर हुआ हो या हो रहा हो;

(सात) व्यक्तियों की ऐसी अन्य श्रेणियाँ जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाय।

मध्यस्थता संचालित करने का स्थान

7–मध्यस्थ निम्नलिखित में से किसी एक या अन्य स्थान पर मध्यस्थता का संचालन करेगा :–

(एक) लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत का स्थान;

(दो) न्यायालय की प्रसीमा के भीतर मध्यस्थता संचालित करने के प्रयोजनार्थ जिला न्यायाधीश द्वारा चिन्हित कोई स्थान;

(तीन) बार एसोसिएशन या राज्य बार काउन्सिल द्वारा, यथास्थिति बार एसोसिएशन या राज्य बार काउन्सिल के परिसर के भीतर मध्यस्थता करने के प्रयोजनार्थ चिन्हित कोई स्थान;

(चार) न्यायालय के अनुमोदन के अध्यधीन कोई अन्य स्थान जिस पर पक्षकारों द्वारा सहमति हो सके।

अधिमान

8–न्यायालय नियम 4 में विनिर्दिष्ट मध्यस्थों के पैनल में से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते समय वाद में अन्तर्ग्रस्त विवाद के विशिष्ट वर्ग का समाधान करने के अपने औचित्य पर विचार करेगा और ऐसे व्यक्ति को अधिमान प्रदान करेगा जिनका सफलतापूर्वक मध्यस्थता करने का प्रामाणिक इतिहास है या जिन्हें मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव प्राप्त है।

कतिपय तथ्यों को प्रकट करने से संबंधित मध्यस्थ का कर्तव्य

9–(1) जब किसी व्यक्ति से उसके मध्यस्थ के रूप में प्रस्तावित/संभावित नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्पर्क किया जाय तो वह अपनी स्वतन्त्रता और निष्पक्षता के सम्बन्ध में न्यायसंगत शंका को उत्पन्न करने वाली किन्हीं परिस्थितियों को लिखित रूप में बताएगा।

(2) प्रत्येक मध्यस्थ अपनी नियुक्ति के दिनांक से और मध्यस्थता की कार्यवाही के जारी रहने के दौरान पक्षकारों के समक्ष उप नियम (1) में निर्दिष्ट किन्हीं परिस्थितियों की विद्यमानता के सम्बन्ध में लिखित रूप में अविलम्ब बताएगा।

नियुक्ति का निरस्तीकरण

10–नियम 9 के अधीन मध्यस्थ द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने पर या पक्षकारों या अन्य व्यक्तियों से कोई अन्य सूचना प्राप्त होने पर यदि न्यायालय का, जिसमें वाद या अन्य कार्यवाही लम्बित है, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे और मध्यस्थ की सुनवाई करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि उक्त सूचना के मध्यस्थ की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता के सम्बन्ध में न्यायसंगत शंका उत्पन्न हुई है तो वह किसी तर्कसंगत आदेश द्वारा नियुक्ति को निरस्त कर देगा और उच्च न्यायालय के अनुमोदन के अधीन उसके स्थान पर कोई अन्य मध्यस्थ नियुक्त कर देगा।

पैनल से हटाया या निकाला जाना

11–किसी व्यक्ति को जिसका नाम नियम 4 में निर्दिष्ट पैनल में रखा गया है, पैनल में उसके नाम को सम्मिलित करने वाले न्यायालय द्वारा उक्त पैनल से हटाया या उसके नाम को निकाला जा सकता है, यदि,–

(एक) वह किसी कारणवश पैनल से त्यागपत्र दे देता है या अपना नाम वापस ले लेता है;

(दो) उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाय या विकृत चित्त घोषित कर दिया जाय;

(तीन) वह ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्वलित आपराधिक आरोप विरचित किये गये हों और वे लंबित हों;

(चार) वह ऐसा व्यक्ति है जिसे नैतिक अधयता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिये किसी दण्ड न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो;

(पॉच) वह ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध किसी समुचित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नैतिक अधमता से सम्बन्धित आरोप पर ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो जो लम्बित हो और जिसके परिणाम स्वरूप कोई दण्ड दिया गया हो;

(छः) वह मध्यस्थता प्रक्रिया के जारी रहने के दौरान वह ऐसा आचरण प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है जो किसी मध्यस्थ की दृष्टि से अशोभनीय हो;

(सात) सूचना प्राप्त करने पर न्यायालय का, जिसने पैनल में नाम को सम्मिलित किया है, यह समाधान हो जाय कि पैनल में उक्त व्यक्ति के नाम को बनाए रखना संभव या वांछनीय नहीं है:

परन्तु यह कि खण्ड (छः) और (सात) के अधीन उसके नाम को हटाने या निकालने से पूर्व, सम्बन्धित न्यायालय उस मध्यस्थ की सुनवाई करेगा जिसका नाम पैनल से हटाये जाने या निकाले जाने के लिये प्रस्तावित है और वह एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा जो सम्बन्धित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन के पश्चात् प्रभावी माना जायेगा।

मध्यस्थता की प्रक्रिया

12– (1) पक्षकार मध्यस्थता की कार्यवाही के संचालन में मध्यस्थ द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत हो सकते हैं।

(2) जहॉ पक्षकार मध्यस्थ द्वारा अनुसरण की जाने वाली किसी विशिष्ट प्रक्रिया पर सहमत न हों, वहॉ मध्यस्थ एतदपश्चात् उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा अर्थात् :–

(एक) वह पक्षकारों के परामर्श से प्रत्येक मध्यस्थता सत्र की समय सारणी, दिनांक एवं समय निश्चित करेगा, जब सभी पक्षकारों को उपस्थित रहना होगा;

(दो) वह नियम 7 के उपबन्धों के अनुसार मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन करेगा;

(तीन) वह पक्षकारों के साथ संयुक्त या पृथक बैठकें आयोजित कर सकता है,

(चार) प्रत्येक पक्षकार किसी सत्र के दस दिन के पूर्व मध्यस्थ को एक संक्षिप्त ज्ञापन देगा जिसमें उन प्रकरणों का, जिनका उसके अनुसार समाधान करने की आवश्यकता है और उन प्रकरणों के सम्बन्ध में उसकी स्थिति का और प्रकरणों को समझने के लिये मध्यस्थ के लिये तर्कसंगत रूप से अपेक्षित सभी सूचनाओं का उपवर्णन होगा, ऐसे ज्ञापन का पक्षकारों के मध्य पारस्परिक रूप से आदान–प्रदान भी किया जायेगा।

(पाँच) प्रत्येक पक्षकार मध्यस्थ को अभिवचनों या दस्तावेजों की प्रतियाँ या ऐसी अन्य सूचना उपलब्ध कराएगा जो उसके द्वारा समाधान किये जाने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में अपेक्षित है:

परन्तु यह कि जहाँ मध्यस्थ की यह राय हो कि उसे मूल दस्तावेजों की जाँच करनी चाहिए, वहाँ न्यायालय उसे न्यायालय के ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे दिनांक या समय पर, जैसा न्यायालय नियत करे, मूल दस्तावेजों की जाँच करने की अनुज्ञा दे सकता है।

(छः) प्रत्येक पक्षकार मध्यस्थ को ऐसी अन्य सूचना उपलब्ध कराएगा जो उसके द्वारा समाधान किये जाने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में अपेक्षित है।

(3) जहाँ एक से अधिक मध्यस्थ हों, वहाँ प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यस्थ प्रथमतः उस पक्षकार से परामर्श करेगा जिसने उसे नामनिर्दिष्ट किया हो और तत्पश्चात् विवादों का समाधान करने की दृष्टि से अन्य पक्षकारों से विचार-विमर्श करेगा।

मध्यस्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा आबद्ध नहीं होगा।

13–सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा मध्यस्थ आबद्ध नहीं होगा, किन्तु औचित्य एवं न्याय के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होगा और पक्षकारों के दायित्वों और बाध्यताओं, व्यापार के उपयोग यदि कोई हो, और विवाद की प्रकृति के प्रति सम्मान रखेगा।

नियत दिनांकों को सत्रों या बैठकों में पक्षकारों की अनुपस्थिति

14– (1) (एक) भारत में निवास करने वाले पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे या मध्यस्थ द्वारा अधिसूचित बैठकों या सत्रों में उनका प्रतिनिधित्व उनके मुख्तारनामा धारकों द्वारा किया जा सकेगा।

(दो) सत्रों या बैठकों में भारत के अनिवासी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व उनके काउन्सेल या मुख्तारनामा धारकों द्वारा किया जा सकेगा।

(2) यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ द्वारा अधिसूचित किसी सत्र या बैठक में उपस्थित होने में विफल रहता है तो अन्य पक्षकार या मध्यस्थ उस पक्षकार को मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने के लिये समुचित निदेश जारी करने हेतु न्यायालय, जिसमें वाद दायर किया गया हो, में आवेदन कर सकता है और यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष हो कि कोई पक्षकार पर्याप्त कारण के बिना मध्यस्थ के समक्ष अनुपस्थित हो रहा है तो न्यायालय खर्च अधिरोपित करके उक्त पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

प्रशासनिक सहायता

15–मध्यस्थता की कार्यवाहियों के संचालन को सुगम बनाने के लिये पक्षकार या मध्यस्थ पक्षकारों की सहमति से किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था कर सकता है।

पक्षकारों द्वारा निपटान का प्रस्ताव

16– (क) वादग्रस्त कोई पक्षकार मध्यस्थ को नोटिस देकर कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में अन्य पक्षकार को, प्रतिकूल प्रभाव रहित, किसी निपटान का प्रस्ताव कर सकता है।

(ख) वाद ग्रस्त कोई पक्षकार मध्यस्थ को नोटिस देकर कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में अन्य पक्षकार को प्रतिकूल प्रभाव सहित प्रस्ताव कर सकता है।

मध्यस्थ की भूमिका

17–मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुगम बनाने का प्रयास करेगा, और प्रत्येक पक्षकार के दृष्टिकोण को अन्य पक्षकार को संसूचित करेगा, और मुद्दों को चिन्हित करने, भ्रांतियों को कम करने, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, समझौता के क्षेत्रों की खोज करने और मुद्दों को चिन्हित करने, भ्रांतियों को कम करने, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, समझौता के क्षेत्रों की खोज करने और विवाद का समाधान करने के किसी प्रयास के विकल्पों का सृजन करने में उनकी सहायता करेगा और इस बात पर जोर देते हुए कि पक्षकारों का यह दायित्व है कि वे ऐसा विनिश्चय करें जिससे वे प्रभावित हों, वह पक्षकारों पर कोई निपटान की शर्तें अधिरोपित नहीं करेगा।

विनिश्चय करने के लिये पक्षकार स्वयं उत्तरदायी हैं।

18–पक्षकारों को यह समझना आवश्यक होगा कि मध्यस्थ विवादों का समाधान करने के विनिश्चय पर पहुँचने में केवल सहायता प्रदान करता है और यह कि वह न तो कोई निपटान करेगा और न उसे अधिरोपित कर सकता है और न ही मध्यस्थ कोई वारंटी देता है कि मध्यस्थता के फलस्वरूप निपटान होगा। मध्यस्थ पक्षकारों पर कोई विनिश्चय अधिरोपित नहीं करेगा।

मध्यस्थता पूर्ण करने की समय–सीमा

19–मध्यस्थ के समक्ष पक्षकारों की प्रथम उपस्थिति के लिये नियत दिनांक से साठ दिन की समाप्ति पर मध्यस्थता समाप्त हो जाएगी, जब तक कि न्यायालय, जिसने मामला निर्दिष्ट किया हो, या तो स्वप्रेरणा से या मध्यस्थ अथवा किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर और समस्त पक्षकारों की सुनवाई करने पर, का यह विचार न हो कि समय का बढ़ाया जाना आवश्यक है या वह उपयोगी हो सकता है किन्तु ऐसा समय विस्तार अग्रतर तीस दिन की अवधि से अधिक नहीं होगा।

पक्षकार सद्भाव पूर्वक कार्य करेंगे

20–जब कि मध्यस्थता के पहले ही अपने मामले का निपटान करने के लिये किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो भी समस्त पक्षकार यदि संभव हो तो विवाद का निपटान करने के आशय से कार्यवाहियों में सद्भावपूर्वक सम्मिलित होंगे।

सूचना की गोपनीयता, उसका प्रकटीकरण और उसकी अग्राह्यता

21– (1) जब कोई मध्यस्थ किसी पक्षकार से विवाद से सम्बन्धित गोपनीय सूचना प्राप्त करता है तब वह उस सूचना के सार को यदि प्रथम पक्षकार द्वारा लिखित रूप में अनुमति दी गयी हो तो दूसरे पक्षकार को प्रकट कर देगा।

(2) जब कोई पक्षकार किसी विनिर्दिष्ट शर्त के अध्यधीन कि इसे गोपनीय रखा जाय मध्यस्थ को सूचना देता है तब मध्यस्थ इस सूचना को दूसरे पक्षकार को न तो प्रकट करेगा और न ही मध्यस्थ ऐच्छिक रूप में दस्तावेजों से सम्बन्धित किसी सूचना या उसे जो कुछ भी मौखिक रूप में सूचित किया जाय कि मध्यस्थता के दौरान क्या घटित हुआ, के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रकट करेगा।

(3) मध्यस्थ द्वारा अभिलेखों, रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति या उनका अनुशीलन या उनकी तैयारी अथवा उस हैसियत से सेवारत रहने के दौरान मध्यस्थ द्वारा मौखिक रूप में सूचना की प्राप्ति गोपनीय रहेगी और मध्यस्थ को न तो दस्तावेजों के सम्बन्ध में, न मौखिक सूचना के सम्बन्ध में और न मध्यस्थता के दौरान क्या घटित हुआ उसके सम्बन्ध में सूचना प्रकट करने के लिये बाध्य किया जायगा।

(4) पक्षकार, मध्यस्थता के दौरान घटित हुई घटनाओं के संबंध में गोपनीयता बनाये रखेंगे और उक्त सूचना पर निर्भर नहीं होंगे या किसी अन्य कार्यवाही में उसका प्रयोग नहीं करेंगे जैसे कि––

(क) मध्यस्थता कार्यवाहियों के दौरान किसी पक्षकार द्वारा व्यक्त किये गये विचार;

(ख) मध्यस्थता के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेज जिन्हे विशेष रूप से गोपनीय माना जाना अपेक्षित था या पक्षकारों या मध्यस्थों द्वारा प्रदत्त अन्य टिप्पणियॉ, आलेख या सूचना;

(ग) मध्यस्थ द्वारा किये गये प्रस्ताव या अभिव्यक्त किये गये विचार;

(घ) मध्यस्थता कार्यवाहियों के दौरान किसी पक्षकार द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति,

(ङ) यह तथ्य कि किसी पक्षकार ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा को इंगित किया था या नहीं किया था.

(5) मध्यस्थता कार्यवाहियों का कोई आशुलिपिकीय या श्रव्य या दृश्य अभिलेखन नहीं होगा।

निजता

22–मध्यस्थता सत्र और बैठकें निजी होती हैं, केवल सम्बन्धित पक्षकार या उनके काउन्सेल या मुख्तारनामा धारक उपस्थित हो सकते हैं। अन्य व्यक्ति केवल पक्षकारों की अनुज्ञा से या मध्यस्थ की सहमति से उपस्थित हो सकते हैं।

उन्मुक्ति

23–किसी मध्यस्थ को किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के लिये मध्यस्थता की कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा सद्भावना पूर्वक की गयी या किये जाने हेतु कारित किये गये किसी बात के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और न ही उसे उसके द्वारा प्राप्त सूचना या उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में या मध्यस्थता की कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा तैयार किये गये या उसे दर्शाये गये आलेखों या अभिलेखों के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिये किसी न्यायालय में उपस्थित होने हेतु वाद के निमित्त किसी पक्षकार द्वारा समन किया जायेगा।

मध्यस्थ, और न्यायालय के मध्य पत्र व्यवहार

24– (1) न्यायालय में पक्षकारों के विश्वास और मध्यस्थ की तटस्थता संरक्षित रखने के उद्देश्य से खण्ड (2) और (3) में यथा उल्लिखित के सिवाय मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य कोई पत्र व्यवहार नहीं होना चाहिए;

(2) यदि मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य कोई पत्र व्यवहार आवश्यक हो तो यह लिखित रूप में होगा और उसकी प्रतियॉ पक्षकारों या उनके काउन्सेल या मुख्तारनामा धारक को दी जाएगी।

(3) मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य पत्र व्यवहार निम्नलिखित के मध्य सीमित होगा;

(एक) उपस्थित होने के निमित्त पक्षकार की विफलता के सम्बन्ध में सम्बन्धि न्यायालय से मध्यस्थ द्वारा पत्र व्यवहार किया जाना;

(दो) पक्षकारों की सहमति से सम्बन्धित न्यायालय से;

(तीन) उसके इस निर्धारण के सम्बन्ध में कि मामला, मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के लिये उपयुक्त नहीं है;

(चार) यह कि पक्षकार ;

(क) द्वारा विवाद या विवादों का निपटान कर लिया गया है; या

(ख) निपटान करने में विफल हो गये है; या

(ग) मध्यस्थता के माध्यम से निपटान नहीं करना चाहते हैं।

निपटान का करार

25– (1) जहॉ वाद में समस्त विवाधकों या कतिपय विवाधकों के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य कोई करार किया जाता है वहॉ उक्त करार लिखित रूप में किया जाएगा और उस पर पक्षकारों तथा उनके मुख्तारनामा धारकों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। यदि किसी काउन्सेल ने पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया हो तो वे अपने सम्बन्धित मुवक्किल के हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित करेंगे।

(2) इस प्रकार हस्ताक्षरित और अभिप्रमाणित पक्षकारों के करार को ऐसे मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जाएगा जो अपने द्वारा हस्ताक्षरित आवश्यक पत्र के साथ उसे उस न्यायालय को अग्रसारित करेगा जिसमें वाद लम्बित हो।

(3) जहॉ नियम 18 में उल्लिखित समय सीमा के पूर्व पक्षकारों के मध्य कोई करार न हो पाये या जहॉ मध्यस्थ का यह विचार हो कि कोई निपटान सम्भव नहीं है वहॉ वह तत्सम्बन्ध में उक्त न्यायालय को लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा।

(4) मध्यस्थ ऐसा दिनांक नियत करेगा जिस दिनांक को मुकदमा के पक्षकारों को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और उस अवधि के भीतर वह

(क) जहॉ पक्षकारों के मध्य करार हुआ हो वहॉ करार प्रस्तुत करेगा; या

(ख) न्यायालय को विवाद का निस्तारण करने में अपने प्रयासों के परिणाम के सम्बन्ध में रिपोर्ट करेगा।

निपटान अभिलिखित करने और डिक्री पारित करने का दिनांक न्यायालय द्वारा नियत किया जायेगा।

26–(1) मध्यस्थ द्वारा नियत दिनांक को या ऐसे अन्य दिनांक को, जो मध्यस्थ द्वारा नियत दिनांक से सात दिन से अधिक न हो, न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के उपस्थित होने पर सम्बन्धित न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पक्षकारों ने स्वेच्छा से अपने विवादों का निपटान कर लिया है और यह कि निपटान दुरसंधिपूर्ण नहीं है तो वह इस प्रकार अभिलिखित किये गये निपटान के अनुसार एक डिक्री पारित करेगा, यदि निपटान से वाद के समस्त विवाधकों का निस्तारण होता है।

(2) (एक) यदि निपटान से वाद या कार्यवाही में उठने वाले केवल कतिपय विवाधकों का निस्तारण होता है तो न्यायालय उन विवाधकों के सम्बन्ध में निपटान को अभिलिखित करेगा, यदि वे अन्य विवाधकों से पृथक्करणीय हैं और यदि उन विवाधकों से आच्छादित निपटान की सीमा तक कोई डिक्री पारित की जाती है तो न्यायालय अन्य विवाधकों, जिन पर निपटान न हुआ हो, के आधार पर न्यायालय के विनिश्चय की प्रतीक्षा किये बिना उन विवाधकों पर निपटान के अनुसार सीधे डिक्री पारित करेगा।

(दो) यदि विवाधक पृथक्करणीय न हो तो उस स्थिति में न्यायालय अन्य विवाधकों, जिन पर निपटान न हुआ हो, पर न्यायालय के विनिश्चय की प्रतीक्षा करेगा।

मध्यस्थ की फीस और लागत

27–(1) विवादों को मध्यस्थता के लिये संदर्भित किये जाते समय न्यायालय, मध्यस्थ और पक्षकारों के परामर्श करने के पश्चात् मध्यस्थ की फीस नियत करेगा।

(2) जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक सत्र या बैठक की बजाय एक समेकित धनराशि नियत की जा सकती है।

(3) जहाँ नियम 3 के खण्ड (2) के अनुसार दो मध्यस्थ हों, वहाँ न्यायालय मध्यस्थों के लिये सदैव ऐसी फीस नियत करेगा जो दोनों पक्षकारों द्वारा समान रूप से बाँट ली जायेगी।

(4) मध्यस्थ की फीस प्रशासनिक सहायता के खर्चों और अन्य सम्बन्धित अनुषंगिक व्ययों सहित मध्यस्थता के व्यय, का वहन, समान रूप से विभिन्न प्रतिवाद करने वाले पक्षकारों द्वारा या जैसा न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित किया जाय, किया जाएगा।

(5) प्रत्येक पक्षकार अपनी ओर से विशेषज्ञों सहित साक्षियों को प्रस्तुत करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के खर्चों को वहन करेंगे।

(6) मध्यस्थ, मध्यस्थता के प्रारम्भ के पूर्व खण्ड (1), (3) और (4) में यथा संदर्भित सम्भावित मध्यस्थता खर्चों की 40 प्रतिशत की सीमा तक अनन्तिम रूप से समान धनराशि जमा करने के लिये पक्षकारों को निदेश दे सकता है। शेष 60 प्रतिशत धनराशि मध्यस्थता की समाप्ति के पश्चात् मध्यस्थ के पास जमा की जायेगी। मध्यस्थ को भुगतान की गयी खर्चों की धनराशि के लिये वह आवश्यक प्राप्तियाँ जारी करेगा और मध्यस्थ द्वारा न्यायालय में एक लेखा विवरण दाखिल किया जायेगा।

(7) न्यायालय, मध्यस्थ या पक्षकारों के आवेदन पर फीस, यदि पक्षकारों द्वारा भुगतान न किया गया हो, सहित मध्यस्थता व्यय का भुगतान करने के लिये सम्बन्धित पक्षकारों को निदेश देगा और यदि वे भुगतान नहीं करते है तो न्यायालय उक्त धनराशि की वसूली करेगा मानो उक्त धनराशि के लिये डिक्री हुई हो।

(8) यदि कोई पक्षकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता के लिये हकदार हो तो उस अधिनियम के अधीन सम्बन्धित विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यस्थ को संदेय फीस और लागत धनराशि का भुगतान करेगा।

मध्यस्थ द्वारा अनुसरण किये जाने वाले आचार

28– मध्यस्थ :–

(क) इस नियमावली का सख्ती से और समुचित तत्परता से अनुसरण करेगा और अनुपालन करेगा;

(ख) ऐसा कोई क्रियाकलाप या आचरण नहीं करेगा जिसे युक्तियुक्त पूर्वक ऐसा आचरण समझा जाय जो किसी मध्यस्थ के लिये अशोभनीय हो;

(ग) मध्यस्थता प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को बनाये रखेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यस्थता में सम्मिलित पक्षकार समुचित रूप से अवगत हैं और उन्हें प्रक्रियागत पहलुओं की पर्याप्त समझ है;

(ङ) स्वयं समाधान करेगा/करेगी कि यह व्यवसायिक रूप में कर्तव्यभार का दायित्व ग्रहण करने और उसे पूर्ण करने के लिये अर्ह हैं;

(च) निष्पक्षता को संभाव्य रूप में प्रभवित करने वाले ऐसे हित या सम्बन्ध को प्रकट करेगा जिसे पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रकट होने की सम्भावना हो ;

(छ) पक्षकारों से पत्र व्यवहार करते समय किसी अशिष्टता प्रकट करने से बचेगा ;

(ज) मध्यस्थ के पद में स्थापित विश्वास और गोपनीयता के प्रति निष्ठावान रहेगा ;

(झ) लागू विधि के अनुसार किसी विवाद के समाधान से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों का संचालन करेगा ;

(ट) इस बात को समझेगा कि मध्यस्थता, पक्षकारों के आत्म सकल्प के सिद्धान्तों पर आधारित है और यह कि मध्यस्थता, प्रक्रिया ऐच्छिक और अप्रकटित करार करने की पक्षकारों की योग्यता पर निर्भर है;

(ठ) गोपनीयता के सम्बन्ध में पक्षकारों की युक्तियुक्त प्रत्याशाओं को बनाये रखेगा;

(ड) परिणाम के सम्बन्ध में आश्वासन देने और विश्वास दिलाने से बचेगा।

अस्थायी उपबंध

29—जब तक जिला न्यायालय द्वारा कोई मध्यस्थ पैनल तैयार नहीं किया जाता है तब तक नियम 4 में निर्दिष्ट न्यायालय अपनी पसंद के किसी मध्यस्थ को नामनिर्दिष्ट कर सकते हैं, यदि मध्यस्थ नियम 5 में निर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से सम्बन्धित हो और सम्यक रूप से अर्ह हो और विशिष्ट विवाद का समाधान करने हेतु मध्यस्थ की उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए अनर्ह न हो।

न्यायालय की आज्ञा से,
दिनेश गुप्ता,
महानिबन्धक।

आज्ञा से,
एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव।

अनुसूची–एक

.....न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(पैनल बनाने के लिए दी जाने वाली सहमति)

नाम:

पिता का नाम:

पता (क) कार्यालय:

(ख) आवास:

दूरभाष संख्या (क) कार्यालय:

(ख) आवास:

शैक्षिक अर्हताएं:

व्यवसायिक अर्हताएं एवं अनुभव:

प्राविधिक अनुभव यदि कोई हो:

मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव:

दिनांक सहित और विधिज्ञ परिषद सहित नामांकन संख्या:

मैं .....एतद्द्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं ..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, 2009 के नियम 4 के अधीन पैनल में रखे जाने हेतु अपनी सहमति देता हूँ। मैं यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का निवर्वहन करते हुये मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उक्त नियमावली के नियम 28 में यथा विहित आचार का अनुपालन करूँगा।

पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक.....

अनुसूची –2

.....न्यायालय, मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(न्यायालय द्वारा केन्द्र को प्रस्तुत वाद पत्रक)

1– निर्दिष्ट करने का दिनांक :

2– मामले को निर्दिष्ट करने वाले पीठासीन अधिकारी का नाम:

3– वाद संख्या :

4– वाद की कोटि:

5– पक्षकारों के नाम:

6– पक्षकारों से सम्पर्क की सूचना:

7–अधिवक्ता के नाम और उनसे सम्पर्क की सूचना:

8– वाद पत्रक के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची:

(संबंधित न्यायालय के रीडर द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित किया जायेगा)

अनुसूची –3

.....न्यायालय, मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(पक्षकारों और उनके काउंसेल को लिखित नोटिस)

1– मध्यस्थता के लिए न्यायालय द्वारा वाद का निर्दिष्ट किया जानाः

2– निर्दिष्ट करने का दिनांक

3– मध्यस्थता की प्रक्रिया के बारे सूचनाः

4– मध्यस्थ का नामः

5– यह कि पक्षकार ऐसे नियुक्त मध्यस्थ के संबंध में नियत समय के भीतर आपत्ति व्यक्त कर सकते है जिसमें वे आपत्ति व्यक्त करने का कारण देंगे।

6– मध्यस्थता सत्र का दिनांक और समय

(मध्यस्थता के परामर्श से केन्द्र में वरिष्ठतम लिपिक द्वारा तैयार, हस्ताक्षरित और जारी किया जायेगा)

ISS RPH Ncay Data 2

अनुसूची–4

.....न्यायालय, मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(सूचना पत्रक पक्षकारों को प्रस्तुत)

वाद का नाम :

वाद की संख्या :

माध्यक का नाम :

1–यह मध्यस्थता सहयोगी रीति से विवाद का समाधान करते हुए एक स्वीकार्य संकल्प पर पहुँचने के प्रयोजन से आयोजित की जा रही है। पक्षकारों को इसमें सद्भावनापूर्वक सहभागिता करनी चाहिए।

2–पक्षकारों को मध्यस्थता सत्रों के समय और दिनांक की सूचना मध्यस्थ द्वारा दी जायेगी ।

3–(क) भारत में निवास कर रहे पक्षकार :

(एक) मध्यस्थता सत्रों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, या

(दो) विवाद के निपटान हेतु प्राधिकार सहित अपने द्वारा बनाये गये अटर्नी के द्वारा मध्यस्थता सत्रों में प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये सहमत हैं।

(जो प्रयोज्य न हो उसे काट दें)

(ख) भारत के अनिवासी पक्षकार, विवाद के निपटान हेतु प्राधिकार सहित अपने द्वारा बनाये गये अटर्नी या अधिवक्ता के द्वारा मध्यस्थता सत्रों में प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये सहमत हैं।

4–मध्यस्थ उस सूचना को गोपनीय रखेगा जिसकी पक्षकारों द्वारा उससे गोपनीय रखे जाने का अनुरोध किया जाय।

5–मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, किसी पक्षकार द्वारा व्यक्त या दिये गये दृष्टिकोण, सुझावों या स्वीकारोक्तियों को, मध्यस्थ द्वारा किये गये प्रस्तावों को और किसी पक्षकार द्वारा स्वीकृति के संकेतों को किसी कार्यवाही में पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के रूप में न तो लिया जाएगा और न प्रस्तुत किया जाएगा।

6–पक्षकार सहमत हैं कि विवाद से किसी भी रूप में संबंधित किसी कार्यवाही में, जो कि मध्यस्थता का विषय हो, मध्यस्थ को गवाह या विशेषज्ञ के रूप में नहीं बुलाया जायेगा।

7–यदि पक्षकार किसी निपटारा पर पहुँचते हैं, तो वे इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर करेंगे और इसे न्यायालय में दाखिल किया जायेगा ।

8–यह समूची प्रक्रिया एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और जब तक कि पक्षकार किसी निपटारा पर नही पहुँचते और करार पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक कोई भी पक्षकार इस प्रक्रिया को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है।

9–यदि पक्षकार किसी निपटारा पर पहुँचने में विफल रहते हैं तो मामला वापस न्यायालय को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा।

(प्रत्येक पक्षकार और उनके प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षारित किया जाएगा)

अनुसूची –5

.....न्यायालय, मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(निपटान का करार)

यह निपटान का करार आज दिनांक .....को श्री .....

जिनकी पहचान श्री .....अधिवक्ता द्वारा की गयी और श्री .....

जिनकी पहचान श्री .....अधिवक्ता द्वारा की गयी के मध्य किया गया।

चूँकि

1–इसके पक्षकारों के मध्य विवाद और मतभेद हो गये थे और दिनांक .....

(संस्थित करने का दिनांक) को .....(सम्बन्धित न्यायालय का विवरण दीजिये) के

समक्ष .....(वाद संख्या) दायर की गयी थी।

2–श्री .....(संबंधित पीठासीन अधिकारी का नाम और पदनाम) द्वारा

दिनांक .....को पारित आदेश द्वारा यह मामला निर्दिष्ट किया गया था।

3–पक्षकारगण सहमत हैं कि श्री .....(मध्यस्थ का नाम) उनके मध्यस्थ

के रूप में कार्य करेंगे।

4– मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान दिनांक .....से दिनांक .....

तक बैठकें हुयीं और पक्षकारगण ने उपरिउल्लिखित विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की सहायता से सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया है।

5–पक्षकारगण यहाँ पुष्टि करते हैं और घोषित करते हैं कि उन्होंने मध्यस्थ की उपस्थिति में स्वेच्छया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से निपटान का करार किया है।

6– निम्नलिखित करार इसके पक्षकारों के मध्य किया गया:

क.....

ख .....

ग.....

7– इस करार पर हस्ताक्षर करके पक्षकारगण यह बयान करते हैं कि .....(वाद संख्या) के संबंध में एक दूसरे के विरुद्ध उनका अब कोई दावा या माँग नहीं रह गयी है और मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से इस सम्बन्ध में इसके पक्षकारों ने विवादों और मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढग से निपटा लिया है।

पक्षकारगण के दिनांक सहित पूरे हस्ताक्षर

अधिवक्ता के दिनांक सहित पूरे हस्ताक्षर

अनुसूची–6

.....न्यायालय, मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

न्यायालय को रिपोर्ट

1– न्यायालय वाद संख्या :

2– द्वारा निर्दिष्ट :

3– निर्दिष्ट करने का दिनांक :

4– मध्यस्थ (क)

(ख)

(ग)

5– मध्यस्थता सत्रों का/के दिनांक

(एक) मध्यस्थता पूर्ण । करार संलग्न

या

(दो) मध्यस्थता पूर्ण । कोई करार नहीं है

या

(तीन) पक्षकार मध्यस्थता के इच्छुक नहीं है।

6–पक्षकारों को निदेश दिया गया है कि वे .....को न्यायालय में उपस्थित हों ।

मध्यस्थ (मध्यस्थों) द्वारा

हस्ताक्षर :

दिनांक :

न्यायालय के आदेश से,

दिनेश गुप्ता,

महानिबन्धक ।

आज्ञा से,

एस०एम०ए० आब्दी,

प्रमुख सचिव।

No. 1253/VII-Nyaya-2–2009-31G-08

Dated Lucknow, August 13, 2009

In exercise of the rule making power conferred under Part X of the Code of Civil Procedure, 1908 and clause (d) of sub-section (2) of section 89 of the said Code, and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad makes the following Rules.

Short title and commencement

1. (i) These rules may be called the Uttar Pradesh Civil Procedure Mediation rules, 2009.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the official *Gazette*.

Extent

2. These rules shall apply to all court annexed mediation with regard to any suit or other proceeding filed/pending in any Court subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad. The Mediation in respect of any suit or other proceeding may be referred to the mediation and conciliation Centre set up in the District. Upon such a reference being made to the Mediation and Conciliation Centre, these rules will apply.

Appointment of mediator from the panel under Rule 4 by agreement of the parties

3. (a) Parties to a suit may all agree on the name of the sole mediator for mediating between them.

(b) Where there are two sets of parties and are unable to agree on a sole mediator, each set of parties shall nominate a mediator.

(c) Where there are more than two sets of parties having diverse, interests, each set shall nominate a person on its behalf and the said nominees shall select the sole mediator and failing unanimity in that behalf, the Court shall appoint a sole mediator.

Panel of mediators

4. (a) (i) The district and Sessions Judge in each District shall, for the purpose of appointing mediator to mediate between parties in suits or other proceedings, prepare a panel of mediators, within a period of sixty days of the commencement of these Rules, after obtaining the approval of the High Court to the names included in the panel, and shall publish the approved list of mediators on their respective notice board with copy to each Bar Association in the District Courts.

(ii) Copies of the said panels referred to in clause (a) (i) shall be forwarded to all the outlay Courts subordinate to the District & Sessions Judge concerned and to the Bar associations attached to each of the outlying Courts:

(b) The consent of the persons whose names are included in the panel shall be obtained before empanelling them on proforma as set out in schedule-1.

(c) The panel of names shall contain detailed annexure giving details of the qualifications of the mediators and their professional of technical experience in different fields.

(d) The panel of mediator appointed under clause (a) shall normally be for a period of three years from the date of appointment and further extension of the panel of mediators or any mediator shall be at the discretion of the District & Sessions Judge with the prior approval of the High Court.

(e) The District & Sessions Judge with prior approval of the High Court, may in his discretion, from time to time, add or delete any person in the panel of mediator.

Rule 5. Qualifications of person to be empanelled under Rule 4

5. The following persons shall be treated as qualified and eligible for being enlisted in the panel of mediators under Rule 4, namely :–

(a) Retired on superannuation district and Sessions Judges and retired on superannuation Additional District & Sessions Judges of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service.

(b) Legal practitioners with at least fifteen years standing at the Bar at the level of the Supreme Court or the High Court; or the District Courts;

(c) Experts or other professionals with at least fifteen years standing ;

(d) Persons and institutions who/which are themselves experts in the mediation and have been approved & recognized by the High Court.

Disqualification of persons

6. The following persons shall be deemed to be disqualified for being empanelled as mediators:–

(i) any person who has been adjudged as insolvent or is declared of unsound mind;

(ii) or any person against whom criminal charges involving moral turpitude are framed by a criminal court and are pending; or

(iii) any person who has been convicted by a criminal court for any offence involving moral turpitude;

(iv) any person against whom disciplinary proceedings or charges relating to moral turpitude have been initiated by the appropriate disciplinary authority, which are pending or have resulted in a punishment.

(v) any person who is interested or connected with the subject-matter of dispute or is related to any one of the parties or to those who represent them, unless such objection is waived by all the parties in writing.

(vi) any legal practitioner who has or is appearing for any of the parties in the suit or in any other suit or proceedings.

(vii) such other categories of persons as may be notified by the High Court.

Venue for conductin mediation

7. The mediator shall conduct the mediation at one or other of the following places:-

(i) Venue of the Lok Adalat or permanent Lok Adalat.

(ii) Any place identified by the District Judge within the Court precincts for the purpose of conducting mediation;

(iii) Any place identified by the Bar Association or State Bar Council for the purpose of mediation, within the premises of the Bar Association or State Bar Council, as the case may be;

(iv) Any other place as may be agreed upon by the parties subject to the approval of the Court.

Preference

8. The Court shall, while nominating any person from the panel of mediators referred to in Rule 4, consider his suitability for resolving the particular class of dispute involved in the suit and shall give preference to those who have proven record of successful mediation or who have special qualifications or experience in mediation.

Duty of mediator to disclose certain facts

9. (a) When a person is approached in connection with his proposed/possible appointment as a mediator, he shall disclose in writing any circumstances likely to give rise to a justifiable doubt as to his independence or impartiality;

(b) Every mediator shall, from the time of his appointment and throughout the continuances of the mediation proceedings, without delay, disclose to the parties in writing about the existence of any of the circumstances referred to in clause (a).

Cancellation of appointment

10. Upon information furnished by the mediator under Rule 9 or upon any other information received from the parties or other persons, if the Court, in which the suit or other proceeding is pending is satisfied, after conducting such inquiry as it deems fit, and after giving a hearing to the mediator, that the said information has raised a justifiable doubt as to the mediator's independence or impartiality, it shall cancel the appointment by a reasoned order and replace him by another mediator subject to approval of the High Court.

Removal or deletion from panel

11. A person whose name is placed in the panel referred to in Rule 4, may be removed or his name be deleted from the said panel, by the Court which empanelled him, if:–

(i) He resigns or withdraws his name from the panel for any reason;

(ii) He is declared insolvent or is declared of unsound mind;

(iii) He is a person against whom criminal charges involving moral turpitude are framed by a criminal court and are pending;

(iv) He is a person who has been convicted by a criminal court for any offence involving moral turpitude;

(v) He is a person against whom disciplinary proceedings on charges relating to moral turpitude have been initiated by appropriate disciplinary authority which are pending or have resulted in a punishment ;

(vi) He exhibits or display conduct, during the continuance of the mediation proceedings, which is unbecoming of a mediator;

(vii) The Court, which empanelled, upon receipt of information, if it is satisfied, that it is not possible or desirable to continue the name of that person in the panel :

Provided that, before removing or deleting his name, under clause (vi) and (vii), the Court concerned shall hear the mediator whose name is proposed to be removed or deleted from the panel and shall pass a reasoned order which shall be given effect to after its approval by the District & Sessions Judge concerned.

Procedure of mediation

12. (a) The parties may agree on the procedure to be followed by the mediator in the conduct of the mediation proceedings.

(b) Where the parties do not agree on any particular procedure to be followed by the mediator, the mediator shall follow the procedure hereinafter mentioned, namely :–

(i) he shall fix, in consultation with the parties, a time schedule, the dates and the time of each mediation session, where all parties have to be present ;

(ii) he shall hold the mediation conference in accordance with the provisions of Rule 7;

(iii) he may conduct joint or separate meetings with the parties ;

(iv) each party shall, ten days before a session, provide to the mediator a brief memorandum setting forth the issues, which according to it, need to be resolved, and its position in respect to those issues and all information reasonably required for the mediator to understand the issue; such memoranda shall also be mutually exchanged between the parties;

(v) each party shall furnish to the mediator, copies of pleadings or document or such other information as may be required by him in connection with the issues to be resolved :

Provided that where the mediator is of the opinion that he should look into any original document, the Court may permit him to look into the original document before such officer of the Court and on such date or time as the Court may fix.

(vi) each party shall furnish to the mediator such other information as may be required by him in connection with the issues to be resolved.

(c) Where there is more than one mediator, the mediator nominated by each party shall first confer with the party that nominated him and shall thereafter interact with the other mediators, with a view to resolving the disputes.

Mediator not bound by Evidence Act, 1872 or Code of Civil Procedure, 1908

13. The mediator shall not be bound by the Code of civil Procedure 1908 of the Evidence Act, 1872, but shall be guided by principles of fairness and justice, have regard to the rights and obligations of the parties, usages of trade, if any, and the nature of the dispute.

Non-attendance of parties at sessions or meetings on due dates

14. (a) (i) The Parties residing in India shall be present personally or may be represented by their power of attorney holders at the meetings or sessions notified by the mediator.

(ii) The parties not resident in India may be represented by their counsel or power of attorney holders at the sessions or meetings.

(b) If a party fails to attend a session or a meeting notified by the mediator, other parties or the mediator can apply to the Court in which the suit is filed, to issued appropriate directions to that party to attend before the mediator and if the Court finds that a party is absenting himself before the mediator without sufficient reason, the Court may taken action against the said party by imposition of costs.

Administrative assistance

15. In order to facilitate the conduct of mediation proceedings, the parties, or the mediator with the consent of the parties, may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person :

Offer of settlement by parties

(a) Any party to the suit may, 'without prejudice' offer a settlement to the other party at any stage of the proceedings, with notice to the mediator.

(b) Any party to the suit may make a, 'with prejudice' offer, to the other party at any stage of the proceedings, with notice to the mediator.

Role of mediator

17. The mediator shall attempt to facilitate voluntary resolution of the dispute by the parties, and communicate the view of each party to the other, assist them in identifying issues, reducing misunderstandings, clarifying priorities exploring areas of compromise and generating options in an attempt to solve the dispute, emphasizing that it is the responsibility of the parties to take decision which affect them; he shall not impose any terms of settlements on the parties.

Parties alone responsible for taking decision

18. The parties must understand that the mediator only facilities in arriving at a decision to resolve disputes and that he will not and cannot impose any settlement nor does the mediator give any warranty that the mediation will result in a settlement. The mediator shall not impose any decision on the parties.

Time limit for completion of mediation

19. On the expiry of sixty days from the date fixed for the first appearance of the parties before the mediator, the mediation shall stand terminated, unless the Court, which referred the matter, either suo moto or opon request by the mediator or any of the parties, and upon hearing all the parties, is of the view that extension of time is necessary or may be useful; but such extension shall not be beyond a further period of thirty days.

Parties to act in good faith

20. While no one can be compelled to commit to settle his case in advance of mediation, all parties shall commit to participate in the proceedings in good faith with the intention to settle the dispute, if possible.

Confidentiality disclosure and inadmissibility of information

21. (1) When a mediator receives confidential information concerning the dispute from any party, he shall disclose the substance of the information to the other party, if permitted in writing by the first party.

(2) When a party gives information to the mediator subject to a specific condition that it be kept confidential, the mediator shall not disclose that information to the other party, nor shall the mediator voluntarily divulge any information regarding the documents or what is conveyed to him orally as to what transpired during the mediation.

(3) Receipt or perusal, or preparation of records, reports or other documents by the mediator, or receipt of information orally by the mediator while serving in that capacity, shall be confidential and the mediator shall not be compelled to divulge information regarding the documents nor in regard to the oral information nor as to what transpired during the mediation.

(4) Parties shall maintain confidentially in respect of events that transpired during mediation and shall not rely on or introduce the said information in any other proceedings as to:

(a) views expressed by a party in the course of the mediation proceedings;

(b) documents obtained during the mediation which were expressly required to be treated as confidential or other notes, drafts or information given by parties or mediators;

(c) proposals made or views expressed by the mediator;

(d) admission made by a party in the course of mediation proceedings;

(e) the fact that a party had or had not indicated willingness to accept a proposal.

(5) There shall be no stenographic or audio or video recording of the mediation proceedings.

Privacy

22. Mediation sessions and meetings are private; only the concerned parties of their counsel or power of attorney holders can attend. Other persons may attend only with the permission of the parties or with the consent of the mediator.

Immunity

23. No mediator shall be held liable for anything *bonafide* done or omitted to be done by him during the mediation proceedings for any civil or criminal action nor shall he be summoned by any party to the suit to appear in a Court of law to testify in regard to information received by him or action taken by him or in respect of drafts or records prepared by him or shown to him during the mediation proceedings.

Communication between mediator and the Court

24. (a) In order to preserve the confidence of parties in the Court and the neutrality of the mediator, there should be no communication between the mediator and the Court, except as stated in clauses (b) and (c) of this Rule;

(b) If any communication between the mediator and the Court is necessary, it shall be in writing and copies of the same shall be given to the parties or their counsel or power of attorney;

(c) Communication between the mediator ... Court shall be limited to:

(i) Communication by the mediator wi... Court concerned about the failure of party to attend;

(ii) with the Court concerned with the conse... the parties;

(iii) regarding his assessment that the case is not suited for settlement through mediation;

(iv) that the parties:

(a) have settled the dispute or disputes; or

(b) have failed to arrive at a settlement; or

(c) are not willing for a settlement through mediation.

Settlement Agreement

25. (1) Where an agreement is reached between the parties in regard to all the issues in the suit or some of the issues, the same shall be reduced to writing and signed by the parties or their power of attorney holder. If any counsel have represented the parties, they shall attest the signature of their respective clients.

(2) The agreement of the parties so signed and attested shall be submitted to the mediator who shall, with a covering letter signed by him, forward the same to the Court in which the suit is pending.

(3) Where no agreement is arrived at between the parties, before the time limit stated in Rule 18 or where, the mediator is of the view that no settlement is possible, he shall report the same to the said Court in writing.

(4) The mediator shall fix the date on which the parties to the litigation should appear before the Court concerned and within that period he shall,–

(a) submit the agreement where an agreement is reached between the parties; or

(b) report the result of his efforts in settling the disputer to the Court.

Court to fix a date for recording settlement and passing decree

26. (1) On the parties appearing before the court on the dated fixed by the mediator, or such other day, not being beyond seven days from the date fixed by the mediator, the court concerned shall hear the parties and if it is satisfied that the parties have settled their disputes voluntarily and that the settlement is not collusive, then it shall pass a decree in accordance with the settlement so recorded, if the settlement disposes of all the issues in the suit.

(2) (i) If the settlement disposes of only certain issues arising in the suit or proceeding, the Court shall record the settlement in respect of those issues if they are severable from other issues and if a decree could be passed to the extent of the settlement covered by those issues, then the court may pass a decree straightaway in accordance with the settlement on those issues without waiting for a decision of the Court on the other issues which are not settled.

(ii) If the issues are not severable, then in that event, the Court shall wait for a decision of the Court on the other issues, which are not settled.

Fee of mediator and costs

27. (1) At the time of referring the disputes to mediation, the Court shall, after consulting the mediator and the parties, fix the fee of the mediator.

(2) As far as possible a consolidated sum may be fixed rather than for each session or meeting.

(3) Where there are two mediators as in clause (b) of Rule 3, the Court shall fix the fee payable to the mediators, which shall be shared equally by the two sets of parties.

(4) The expense of the mediation including the fee of the mediator, costs of administrative assistance, and other ancillary expenses concerned, shall be borne equally by the various contesting parties or as may be otherwise directed by the Court.

(5) Each party shall bear the costs for production of witnesses on his side including experts, or for production of documents.

(6) The mediator may before the commencement of mediation, direct the parties to deposit equal sums, tentatively to the extent of 40% of the probable costs of the mediation, as referred to in clauses (1), (3) and (4). The remaining 60% shall be deposited with the mediator, after the conclusion of mediation. For the amount of Cost paid to the Mediator, he shall issue the necessary receipts and a statement of account shall be filed, by the mediator in the Court.

(7) The expense of mediation including fee, if not paid by the parties, the Court shall on the application of the mediator or parties, direct the concerned parties to pay, and if they do not pay, the Court shall recover the said amounts as if there was a decree for the said amount.

(8) Where a party is entitled to legal aid under section 12 of the Legal Services Authority Act, 1987, the concerned Legal Services Authority under that Act shall pay the amount of fee and costs payable to the mediator.

Ethics to be followed by mediator

28. The mediator shall:

(1) Follow and observe these Rules strictly and with due diligence;

(2) Not carry on any activity or conduct which could reasonably be considered as conduct unbecoming of a mediator;

(3) Uphold the integrity and fairness of the mediation process;

(4) Ensure that the parties involved in the mediation are fairly informed and have an adequate understanding of the procedural aspects of the process;

(5) Satisfy himself/herself that he/she is qualified to undertake and complete the assignment in a professional manner;

(6) Disclose any interest or relationship likely to affect impartiality or which might seek an appearance of partiality or bias;

(7) Avoid, while communicating with the parties, any impropriety or appearance of impropriety;

(8) Be faithful to the relationship of trust and confidentially imposed in the office of mediator;

(9) Conduct all proceedings related to the resolutions of a dispute, in accordance with the applicable law;

(10) Recognize that mediation is based on principles of self-determination by the parties and that mediation process relies upon the ability of parties to reach a voluntary, undisclosed agreement;

(11) Maintain the reasonable expectations of the parties as to confidentially;

(12) Refrain from promises or guarantees of results.

Transitory provisions

29. Until a penal of mediator is prepared by the District Court, the Courts referred to in Rule 4, may nominate a mediator of their choice if the mediator belongs to the various classes of persons referred to in Rule 5 and is duly qualified and is not disqualified, taking into account the suitability of the mediator for resolving the particular dispute.

By order of the Court,
DINESH GUPTA,
Registrar General.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv

SCHEDULE-I

----------JUDGESHIP MEDIATION AND CONCILIATION CENTER (CONSENT TO BE FURNISHED FOR EMPANELMENT)

NAME :

FATHER'S NAME :

ADDRESS : (a) OFFICE :

(b) RESIDENCE :

TELEPHONE NO. (a) OFFICE :

(b) RESIDENCE :

ACADEMIC QUALIFICATIONS

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS & EXPERIENCE :

TECHNICAL EXPERINCE, IF ANY :

SPECIAL QUALIFICATION OR EXPERICENCE IN MEDIATION :

ENROLMENT NUMBER WITH DATE AND THE BAR COUNCIL :

I....., do hereby submit that I am willing to be empanelled as a mediator in ..... judgeship and give my consent for my empanelment under Rule 4 of the Uttar Pradesh Civil Procedure Mediation Rules, 2007. I assure that during my term as mediator, I shall follow ethics as prescribed in Rule 28 of the said Rules while performing my duties as mediator.

Full Signature

Date

SCHEDULE—2

----------JUDGESHIP MEDIATION AND CONCILIATION CENTER (CASE SHEET FURNISHED BY THE COURT TO THE CENTRE)

1. Date of Referral :
2. Name of the Presiding Office referring the matter :
3. Case Number :
4. Category of Case :
5. Name of Parties :
6. Contact information of Parties :
7. Names and Contact Information of Counsel :
8. List of documents Annexed to case Sheet :

(To be prepared and signed by the Reader of the Court concerned)

SCHEDULE—3

----------JUDGESHIP MEDIATION AND CONCILIATION CENTER (WRITTEN NOTICE TO THE PARTIES AND THEIR COUNSEL)

1. The referral of the case by the Court for mediation.
2. The date of referral.
3. Information about the process of mediation.
4. Name of the mediator.
5. That the parties may object to the mediator appointed giving their reasons for doing so within a fixed time.
6. Date and time of mediation session.

(TO BE PREPARED, SIGNED AND ISSUED BY THE SENIOR MOST CLERK IN THE CENTRE IN CONSULTATION WITH THE MEDIATOR)

SCHEDULE—4

----------JUDGESHIP MEDIATION AND CONCILIATION CENTER (INFORMATION SHEET FURNISHED TO THE PARTIES)

Case Name :

Case Number :

Name of Mediator :

1. This mediation is being conducted with the purpose of arriving at an acceptable resolution by setting the dispute in a co-operative manner. Parties should participate in this in good faith.
2. The Mediator will inform the parties of the time and date of the mediation sessions.
3. (a) The parties residing in India agree to

   (i) attend the mediation sessions personally ; or

   (ii) be represented at the mediation sessions by their constituted attorney with authority to settle the dispute.

   (Strike off whichever is not applicable)

   (b) The parties not resident in India agree to be represented at the mediation sessions by their constituted attorney or Counsel with authority to settle the dispute.
4. The Mediator shall respect the confidentiality of information that the parties request him/her to keep confidential.
5. The parties shall not rely or introduce as evidence in any proceedings the view, suggestions or admissions expressed or made by a party, the proposals made by the Mediator and indication of acceptance by a party during the course of the mediation proceedings.
6. The parties agree not to call the Mediator as a witness or as an expert in any proceeding relating in any way to the dispute, which is the subject of mediation.
7. If the parties reach a settlement, they shall sign an agreement to that effect and this shall be filled into the Court.
8. The entire process is a voluntary process and until parties reach settlement and sign an agreement, any party is free to opt out of the process.
9. If the parties fail to reach settlement, the matter shall be referred back to the Court.

(To be signed & dated by each party and the learned Counsel identifying them.)

SCHEDULE—5

----------JUDGESHIP MEDIATION AND CONCILIATION CENTER (SETTLEMENT AGREEMENT)

This SETTLEMENT AGREEMENT entered into on ----------between---------- ----------Advocate and ----------identified by Sri---------- ----------Advocate

WHEREAS

1. Disputes and differences had arisen between the parties hereto and ---------- (case no.) was filed on ----------(date of institution) before ---------- ----------(give particulars of the court concerned)
2. The matter was referred to mediation vide an order dated ---------- passed by ----------(name and designation of the Presiding Officer concerned)
3. The parties agreed that Sri----------(name of the Mediator) would act as their Mediator.
4. Meetings were held during the process of Mediation from ----------to---- ----------and the parties have with the assistance of the mediator voluntarily arrived at an amicable solution resolving the above-mentioned dispute and differences.
5. The parties hereto confirm and declare that they have voluntarily and of their own free will arrived at this Settlement/Agreement in the presence of the Mediator.
6. The following settlement has been arrived at between the Parties hereto:

   A----------
   B----------
   C----------

7. By signing this agreement the parties hereto state that they have no further claims or demands against each other with inspect to----------(Case No.) and the parties hereto through the, process of Mediation in this regard have amicably settled all disputes and differences.

   Parties Full Signature with date

   Counsel's Full Signature with date :

   (Additions/alterations in the form as per requirement are permitted)

SCHEDULE—6

----------JUDGESHIP MEDIATION AND CONCILIATION CENTER REPORT TO COURT

1. Court Case No. :

2. Referred by :

3. Date of Referral :

4. Mediators : (a)

(b)

(c)

5. Date (s) of .Mediation Sessions :

(i) Mediation completed, Agreement enclosed

Or

(ii) Mediation completed, no. agreement.

Or

(iii) Parties not willing for the Mediation.

6. The parties have been directed to appear before the Court on----------

Signed by Mediator (s)

Dated :

By order of the Court,

DINESH GUPTA,

Registrar General.

By order,

S. M. A. ABIDI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 458 राजपत्र–(हिन्दी)–2009–(967)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा० न्याय–13–8–09–(968)–1,50 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।